



# म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

CIN: U40109MP2001SGC014880

रजिस्टर्ड आफिस : ब्लाक नं. 2 शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर(म.प्र.) 482008 दूरभाष : (0761) 2702036, 2702041  
फैक्स:(0761) 2664450, e-mail:ce.ca@mptransco.nic.in,

C.E. (Procurement)  
M.P.P.T.C.L., Jabalpur

29 APR 2016

R. No. 7276

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/चार/

1397  
आदेश

दिनांक

27 APR 2016

म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 4-36/2015/55-2 दिनांक 04.02.2016 में उल्लिखित राज्य शासन की दरों पर "स्पंदन हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर प्रायवेट लिमिटेड, नागपुर" को म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को हृदय रोग के उपचार कार्डियोलाजी (एंजियोग्राफी/एंजियोप्लास्टी) एवं अन्य कार्डियोलाजिकल इन्टरवेंशन जैसे बीएमवी, पीपीआई, कार्डियोथेरोसिक सर्जरी तथा कार्डियोलाजी से संबंधित क्रिटिकल केयर उपचार हेतु राज्य शासन की निर्धारित दरों पर आदेश जारी होने की दिनांक से 03.02.2018 तक के लिये चिह्नित/अनुशंसित किया जाता है।

उपरोक्त चिकित्सा संस्थान में जांच/उपचार हेतु अन्य शर्तें निम्नानुसार होगी :-

- (1) उपरोक्त चिकित्सा संस्थान में जांच कराने के पूर्व कंपनी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और निकटतम शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के रोग से संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुमति/अभिमत लेना आवश्यक होगा तथा चिकित्सा हेतु कंपनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।
- (2) उपरोक्त चिकित्सा संस्थान के द्वारा कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान प्राप्त किया जावेगा।
- (3) उपरोक्त चिकित्सा संस्थान में जांच/उपचार कराने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, म.प्र. सिविल सेवायें (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 में निहित प्रावधानानुसार ग्राह्य राशि की केवल 75% की सीमा तक की पात्रता होगी।
- (4) मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर चिकित्सा संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जांच कर सकेंगे।
- (5) उक्त चिकित्सालय में उपचार व परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति का निर्धारित दरों पर अथवा वास्तविक व्यय उसमें से जो भी कम हो, की अधिकारी/कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित, चिकित्सालय जिस हेतु मान्यता प्राप्त हैं उसके अतिरिक्त कोई चिकित्सा उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार, वह स्वयं वहन करेगा।
- (6) चिकित्सालय में शासन द्वारा जारी निर्धारित दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।
- (7) शासकीय सेवक एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जावेगा।

आदेशानुसार

मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स)

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/चार/ 1398

दिनांक

27 APR 2016

प्रतिलिपि:-

1. कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन विकास)/(अति उच्च दाब-संधारण एवं निरीक्षण)/(सीआरए) म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
2. कार्यपालक निदेशक (वित्त), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
3. कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशा.), म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
4. कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशा.), म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
5. मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशा.), म.प्र.पूर्व क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर।
6. मुख्य अभियंता(अति उच्च दाब-निर्माण)/(राज्य भार प्रेषण केन्द्र)/(योजना एवं रूपांकन)/(सिविल-ट्रांसमिशन)/(परीक्षण एवं संचार)/(प्रोक्योरमेंट), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।

PS  
2.5.16

8. अतिरिक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
9. संयुक्त निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
10. अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार) / (अउदा-निर्माण) / (अउदा-संधारण) वृत्त, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, .....
11. अधीक्षण अभियंता, 400 केव्ही उपकेन्द्र वृत्त, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, .....
12. कार्यपालन अभियंता (परीक्षण संभाग)-एक / दो म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, .....
13. कार्यपालन अभियंता (अउदा-निर्माण) संभाग-एक / दो म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, .....
14. कार्यपालन अभियंता (अउदा-संधारण) संभाग म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, .....
15. कार्यपालन अभियंता (ट्रांस.-भण्डार)संभाग म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर / इटारसी / इंदौर ।
16. कार्यपालन अभियंता (संचार)संभाग, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर / भोपाल / इंदौर।
17. कार्यपालन अभियंता, 400 केव्ही (परीक्षण) संभाग, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, .....
18. निज सचिव, संबद्ध प्रबंध निदेशक, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
19. निज सचिव, संबद्ध निदेशक (तकनीकी), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
20. चिकित्सा अधिकारी, कर्मशाला संभाग चिकित्सालय, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, सीहोर।
21. वेब मास्टर, कार्या-मुख्य अभियंता(रूपांकन) म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
22. कंपनी सचिव / कल्याण अधिकारी, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
23. क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर / इंदौर / भोपाल।
24. ग्रंथपाल, म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
25. संचालक, स्पंदन हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर प्रायवेट लिमिटेड, अभयंकर रोड, धनतौली नागपुर।

1/23  
अति.मुख्य अभियंता